राज्यपाल सचिवालय, बिहार

राजभवन, पटना–८०००२२

ओथ–02/2014– रा.स.(1) दिनांक– 12.02.2015

आदेश

विगत दिनों बिहार राज्य में उत्पन्न राजनैतिक घटनाक्रमों के संबंध में प्राप्त पत्रों के अवलोकन एवं जनता दल यू० के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद यादव के नेतृत्व में विभिन्न दलों के प्रतिनिधिमंडल, माननीय मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी एवं बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री उदय नारायण चौधरी से मुलाकात के पश्चात महामहिम राज्यपाल महोदय को यह स्पष्ट हुआ कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी और श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले दोनों प्रतिस्पर्द्धी राजनैतिक गुटों द्वारा अपने–अपने पक्ष में बहुमत होने का दावा किया जा रहा है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 176 के अनुसार जहाँ किसी राज्य में विधायिका के दो सदन हैं वहाँ हर एक वर्ष के प्रारंभ में राज्यपाल एकसाथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेंगे। यह संवैधानिक अनिवार्यता है। वर्ष 2015 में अभी विधानमंडल की कोई बैठक नहीं हुई है। अतः अनुच्छेद 176 का अनुपालन करना होगा। यह निर्विवाद है कि बिहार विधानसभा तथा परिषद् का समवेत सदन पहले से ही दिनांक 20.02.2015 के लिए आहूत किया गया है और दिनांक 20.02.2015 का सत्र प्रदेश के मंत्रिपरिषद् की सलाह पर बुलाया गया है और मंत्रिपरिषद् ने इस तिथि के परिवर्तन के लिए कोई सलाह नहीं दी है। अतः इस तिथि में परिवर्तन करना सही नहीं है। श्री शरद यादव एवं श्री नीतीश कुमार के पत्रों एवं मौखिक निवेदन से महामहिम राज्यपाल को यह भी स्पष्ट हुआ कि मुख्यमंत्री श्री मांझी के स्थान पर जनता दल (यू०) विधानमंडल दल ने श्री मांझी को विधानमंडल दल के नेता पद से हटाकर श्री नीतीश कुमार को अपना नेता चुन लिया है तथा श्री मांझी से त्यागपत्र देने के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, अतः श्री नीतीश कुमार को नयी सरकार बनाने हेतु आमंत्रित किया जाय। महामहिम राज्यपाल को यह भी स्पष्ट हुआ कि, बिहार विधान सभा की प्रकिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अनुसार मुख्यमंत्री नेता सदन होता है और मुख्यमंत्री श्री मांझी ने अभी तक त्यागपत्र नहीं दिया है, इसके विपरीत श्री मांझी द्वारा सदन में बहुमत सिद्ध करने का दावा भी किया है।

इस प्रकार सभी परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध सभी पत्रों, टिप्पणीयों, संविधान के प्रावधानों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 'एस.आर.बोम्मई'

एवं 'जगदम्बिका पाल' के प्रकरण में दिये गये निर्देशों पर गहनता पूर्वक विचार करने के उपरांत महामहिम राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित निर्देश पारित किया गया है–

1. दिनांक 20.02.2015 को आहूत दोनों सदनों के समवेत सत्र में राज्यपाल का भाषण होगा। तत्पश्चात उसी दिन जब विधान सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हो तो प्रथम कार्यवाही के रूप में सबसे पहले मुख्यमंत्री द्वारा अपने मंत्रिपरिषद् के पक्ष में विश्वास प्राप्त करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा।
2. उस प्रस्ताव पर यदि आवश्यक हुआ या सदन में मांग की गई तो प्रक्रिया नियमावली का पालन करते हुए उस पर विमर्श होगा।
3. विमर्श समाप्त होने पर विधान सभा अध्यक्ष द्वारा मत विभाजन के द्वारा प्रस्ताव पर निर्णय किया जाएगा। मतदान की निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए विधान सभा अध्यक्ष प्रस्ताव पर मतदान लॉबी डीवीजन या गुप्त मतदान पद्धति से कराएँगे। यदि गुप्त मतदान हुआ तो मतों की गिनती सदन में सदस्यों की उपस्थिति में की जायेगी।
4. मतदान के परिणाम से राज्यपाल को यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा।

By-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)
राज्यपाल के प्रधान सचिव
बिहार, पटना

ज्ञापांक–ओथ–02/2014–176 रा.स.(1) दिनांक– 12.02.2015

प्रलिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार विधान परिषद्/सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई को प्रेषित। प्रधान सचिव, संसदीय कार्य विभाग से अनुरोध है कि आदेश से सभी संबंधितों को अपने स्तर से सूचित करने की कृपा करेंगे।

12-2-15

विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक)
राज्यपाल सचिवालय
बिहार, पटना